'स्किजोफ्रेनिया भी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग एवं थाईराईड जैसा एक रोग है'

कोटा में वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉ एम एल अग्रवाल ने विस्तार से स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानकारी दी है।

कोटा, (निसं)। 24 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी भी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग एवं थाईराईड आदि की बीमारियों की तरह ही एक रोग है जिसका समय पर पहचान कर सही व लगातार ईलाज किया जाय तो रोगी स्वस्थ होकर न केवल परिवार अपितु देश के लिये प्रोडक्टिव सिटिजन (उत्पादकता करने वाला नागरिक) बन सकता है। लेकिन अज्ञानता व अंधविश्वास के कारण परिजन उसको पहचान नही पाते या समय रहते सही ईलाज नही कराते।

उदहारण के तौर पर- एक बच्चे को जिसमे आत्महत्या के विचार हावी हो चुके थे व पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा था उसको परीक्षण के दौरान माता से पूछा गया क्या इसको काल्पनिक आवाजें आती है, तो माता ने बताया कि उसके बच्चे को तीन साल से काल्पनिक आवाजें सुनाई देती है जिसका उन्होंने कभी ईलाज नहीं कराया क्योकि वो नहीं जानती थी कि यह भी कोई बीमारी होती है। इस तरह के एक नहीं अनेक उदहारण है जिनकी जानकारी देकर मरीज व परिजनों की आर्थिक व सामाजिक पीड़ा कम कर सकते है। स्किज़ोफ्रेनिआ एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के विचार, अनुभूति और व्यवहार पर गंभीर असर करता है मरीज के वास्तविक और काल्पनिक अनुभवों में फर्क करना कठिन हो जाता है मरीज के लिए तार्किक रूप से सोचना, सामान्य भावनाओं को व्यक्त करना और समाज में उचित व्यवहार करना कठिन हो जाता है।

मरीज काल्पनिक विचारों की आन्तरिक जिंदगी में जीता है एवं बाहरी दुनिया से अलग-थलग रहता है मरीज के कामकाज के तरीके व एकाग्रता दोनों पर असर पड़ता है। वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. एम.एल.अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि स्किज़ोफ्रेनिआ मुश्किल से पाया जाने वाला रोग नहीं है और यह आम रोग है और समाज के प्रत्येक 100 में से 1 व्यक्ति को कभी न कभी जीवनकाल में हो सकता है। भारत में 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित है।

स्किज़ोफ्रेनिया का वर्णन प्राचीन चिकित्सा व आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी है स्किज़ोफ्रेनिआ सारी दुनिंया में फैला हुआ है। यह युवा और वयस्कों की बीमारी है। स्किज़ोफ्रेनिआ किसी भी जाति, संस्कृति, लिंग, वर्ण और सामाजिक स्तर के लोगों में समान रूप से हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया होने का निश्चित कारण मालूम नहीं किया गया है इसकी एक से ज्यादा वजह हो सकती है। अनुवांशिक कारण, पारिवारिक इतिहास, मनोवैज्ञानिक कारण, पारिवारिक समस्या, तनावपूर्ण जीवन, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, गर्भावस्था और प्रसूति के दौरान तकलीफ बचपन में क्षतिपूर्ण विकास जिसे कारण संभव हैं।

स्किज़ोफ्रेनिया होने का मुख्य कारण मस्तिष्क के चेतना तन्तुओं के बीच के रासायनिक तत्वों में होने वाले परिवर्तन से होता है। डॉ.एमएल अग्रवाल ने स्किजोफ्रेनिया के लक्षण को भी पावर प्वाइंट के माध्यम से विस्तार से बताया। स्किज़ोफ्रेनिया व्यक्ति के विचार, व्यवहार, भावनाएं और कार्यक्षमता पर असर करता है। दूसरों को न सुनाई देने वाली काल्पनिक आवाज सुनाई देना काल्पनिक व्यक्तियों से बातें करना। अजीब से विचार और गलत मान्यताएँ जो कितना भी समझाने के बाद बदलती नहीं है। दूसरों को न सुनाई देने वाली काल्पनिक आवाजें सुनाई देना। सामाजिक और भावनात्मक उदासीनता।

> ■ 'जिसका समय पर पहचान कर सही व लगातार ईलाज किया जाये तो रोगी स्वस्थ होकर न केवल परिवार अपितु देश के लिये प्रोडक्टिव सिटिजन बन सकता है'

कई दिनों तक घर से बाहर भटकना अथवा घर से बाहर निकलने के लिए मना करना। दैनिक कामकाज जैसे की नहाना धोना, दाढ़ी बनाना, खाना-पीना, कपड़े बदल गए इत्यादि में अनियमितता खालीपन महसूस करना, अपनी ही दुनिया और विचारों में खोए रहना, काम से गायब रहना जिम्मेदारी का अभाव, डर लगना दूसरों से अपने को जोड़ने एवं आपसी संबंध बनाए रखने में कठिनाई महसूस करना, खुदकुशी का विचार करना, असंबंध हो अर्थहीन बातें करना, भावनाओं की ठीक से अभिव्यक्ति न कर पाना (किसी की मृत्यु पर हंसना) साथ ही इस रोग की गलतफहमिया और वास्तविकताएं बताई, प्रारंभ में प्रेस समन्वयक सुधीन्द्र गौड़ ने सभी का परिचय कराया तथा वार्ता की उपयोगिता प्रस्तुत की। वार्ता रामगोपाल अग्रवाल, उर्मिल बक्शी, हॉप सोसायटी के अनिल अग्रवाल, डॉ.अविनाश बंसल ने भी उपयोगी जानकारी दी।

एम.बी. पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों और अभिभावकों का अभिनंदन किया

कोटा में एमबी पब्लिक स्कूल के द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों का अभिनंदन किया गया।

कोटा, (निसं)। एम.बी. पब्लिक सी.सै. स्कूल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का विद्यालय परिसर में अर्चना जैन एवं मां भारती ग्रुप के चैयरमैन महेश विजय द्वारा अभिनंदन किया गया एवं विद्यालय के परीक्षा परिणाम के बारे में सभी को अवगत कराया।

विद्यालय के सभी संकायों का परिणाम 100 प्रतिशत रहा।

जिसमें विज्ञान वर्ग में अजिजा खातून व प्रियाशी राठौर ने 96.60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये। वाणिज्य संकाय में रिषी सोनी 93.40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये।

कृषि विज्ञान में भव्य प्रताप सिंह ने 90.40 तथा कला वर्ग में कृष्णा वर्मा ने 95.40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये। मां भारती ग्रुप के चैयमैन महेश विजय एवं प्राचार्या अर्चना जैन ने विद्यार्थियों को बधाई एवं आगामी भविष्य की शुभकामनाएं दी।

दिव्यांशी राठौर ने गणित में 100 में से 100 त्रिशाला ने जीव विज्ञान ममें 100 में से 100 और प्रियांशी राठौर ने भौतिक विज्ञान में 100 में से 100 अंक प्राप्त किये।

आईबीओ की इंडियन टीम में एलन से रूद्र पेठानी

कोटा, (निसं)। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड के स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले ओलंपियाड्स में लगातार अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ.बृजेश माहेश्वरी ने बताया कि होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (एचबीसीएसई) द्वारा आयोजित 36वें इंटरनेशनल बॉयोलॉजी ओलंपियाड (आईबीओ) के ओरियंटेशन कम सलेक्शन कैम्प (ओसीएससी) के परिणाम जारी हो चुके हैं। जिसमें एलन के विद्यार्थियों ने एक बार फिर श्रेष्ठता साबित की है। डॉ. माहेश्वरी ने बताया कि परिणामों में घोषित की गई भारतीय विद्यार्थियों की टीम में चार में से एक विद्यार्थी रूद्र पेठानी एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट से है।

रूद्र एलन का रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट है और 20 से 27 जुलाई तक फिलीपिन्स के क्वीजोन शहर में आयोजित होने वाले 36वें इंटरनेशनल बॉयोलॉजी ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। आईबीओ पांच चरणों में आयोजित किया जाता है। जिसमें पहले चरण एनएसईबी के बाद एलन से 68 विद्यार्थी दूसरे चरण यानी आईएनबीओ के लिए चयनित हुए थे। दूसरे चरण के बाद पूरे भारत से कुल 40 विद्यार्थियों का चयन ओसीएससी के लिए हुआ था, जिसमें से 14 विद्यार्थी एलन से थे।

दशहरा मेले की तैयारियों के लिए बिरला से मिले राजवंशी

कोटा दशहरा मेला की तैयारियों को लेकर स्पीकर ओम बिरला से विवेक राजवंशी ने मुलाकात की है।

कोटा, (निसं)। दशहरा मेला 2025 की तैयारियों को लेकर मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की। दोनों के बीच मेले के आयोजन को और भव्य स्वरूप देने पर चर्चा हुई।

मेला समिति अध्यक्ष राजवंशी ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मार्गदर्शन के कारण ही वर्ष 2024 मं दशहरा मेला नई ऊंचाईयों को छू सका था। लोकसभा अध्यक्ष से भेंट के दौरान उन्हें पिछले वर्ष मेला आयोजन के अनुभवों से अवगत करवाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस वर्ष के आयोजन को गत वर्ष से अधिक भव्य बनाना है।

इसके लिए अभी से तैयारियों को युद्धस्तर पर प्रारंभ किया जाए। गत वर्ष जो भी कमियां सामने आई थीं उन्हें अभी से ही दूर करने का प्रयास करें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मेले को नया स्वरूप देते हुए उसमें अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। कलाए संस्कृतिए परम्परा और विरासत को सहेजते हुए हम मेले को आधुनिक भी बनाएं।

दो उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार-पत्र निलम्बित

झालावाड़ (निसं)। उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मोडी, तहसील बकानी राधेश्याम एफपीएस कोड 12037 तथा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम मोलक्या ग्राम पंचायत झिझनिया तहसील बकानी शक्ति सिंह एफपीएस कोड 12023 द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आंवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों की स्पष्ट अवहेलना किये जाने पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों उचित मूल्य दुकानदारों को जारी प्राधिकार पत्र को अग्रिम आदेशों अथवा 90 दिवस की अवधि 22 अगस्त, 2025 तक निरस्तीकरण की प्रक्रिया विचाराधीन रखते हुए निलम्बित किया।

शिविर आज से

झालावाड़ (निसं)। जिला क्रीड़ा परिषद एवं जिला बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर 24 मई 2025 से 2 जून 2025 तक श्रीमती विजया राजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल में आयोजित किया जा रहा है।

कार्यालय नगर परिषद बारां (राज.)

क्रमांकः-नपबा/ रुपा./2025/1139-40 दिनांक 22.05.2025

आपत्ति सूचना

बसन्त बिहार कालोनी राजस्व ग्राम नलका खसरा नं. 360, 563/360, 571/360, 572/360 के ले आउट में रेल्वे लाईन के समीप 100 फीट दूरी पश्चात (अनुमोदित ले आउट प्लान में आरक्षित भूमि) को शामिल करते हुए ले आउट में संशोधन किये जाने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो मय दस्तावेज आपत्ति 10 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करे बाद मियाद गुजरने पर आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित हो।

आयुक्त
नगर परिषद बारां

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/2100 दिनांकः 23.5.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती नीलम जैन पत्नी श्री पवन कुमार जैन निवासी भूखंड संख्या 4-एच-9 रंगबाड़ी योजना कोटा राज. ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 403 शोपिंग सेन्टर योजना कोटा क्षेत्रफल 802.44 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 403 शोपिंग सेन्टर योजना कोटा क्षेत्रफल 802.44 वर्गफुट का आवंटन नगर विकास न्यास कोटा के पत्रांक 31 दिनांक 23.02.1979 के द्वारा श्रीमती राजबाला गुप्ता पत्नी पूरणमल गुप्ता मैसर्स अग्रवाल इंजिनियर्स एण्ड फेब्रिकेटर्स को किया था। जिसकी लीजडीड का पंजीयन उप पंजियक कार्यालय कोटा में दिनांक 11.02.1998 को पंजिबद्ध है। श्रीमती राजबाला गुप्ता पत्नी पूरणमल गुप्ता ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती नीलम जैन पत्नी श्री पवन कुमार जैन को विक्रय किया। उक्त भूखंड पर श्रीमती नीलम जैन पत्नी श्री पवन कुमार जैन का बहैसियत वारिस के मालिकाना हक व अधिकार चला आ रहा है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के आवेदित भाग का नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त मूल भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांकः-एफ.7/डी.टी.पी./2025/15-20 दिनांकः 23.05.2025

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाये गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.2.2021 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण, भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु कोटा विकास प्राधिकरण में विचाराधीन है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस में कोटा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखंड सं./ योजना का नाम	योजना/मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल
1.	सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण	खसरा नं. 1679, 1680, 1696, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1703 ग्राम मण्डाना	हाईवे डवलपमेंट कंट्रोल बेल्ट एवं परिधि नियंत्रण पट्टी	औद्योगिक	221.47 हैक्टेयर

सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण

न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा
बइजलास श्री सत्यनारायण व्यास
आर एच जे एस (डी जे कैडर)
मुत. आवेदन क्रमांक 52/2025

विश्वनाथ मित्रा पुत्र आर्मी नम्बर जे.सी. 21918 एक्स सुबेदार हरधन मित्रा उम्र 73 वर्ष, निवासी-मित्रा भवन नयागांव पुलिस लाईन अखावा, कोटा, राज. 324001 ......प्रार्थीया

- बनाम -

(1) तुषार कान्त मित्रा, उम्र 68 वर्ष (2) शम्भूनाथ मित्रा, उम्र 66 वर्ष (3) तपन कुमार मित्रा, उम्र 62 वर्ष (4) दुर्गा रानी दत्ता, उम्र 60 वर्ष (5) नारायण मित्रा, उम्र 54 वर्ष (6) भवानी प्रसाद मित्रा, उम्र 56 वर्ष (7) राममोहन मित्रा, उम्र 54 वर्ष (8) शोभा घोष, उम्र 52 वर्ष पिसरान स्वर्गीय श्री हरधन मित्रा, निवासीगण- इस्माईल चौक, नयापुरा कोटा (राज.) पिन- 324001 (9) ए.जी.एम. बैंक ऑफ बड़ौदा, सीपीपीसी 5वीं मंजिल, गिफ्ट वन टॉवर, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर गुजरात पिन- 382355 (10) शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-रामपुरा बाजार कोटा, राजस्थान पिन- 324001 (11) हर आम व खास ...... प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते जारी किए जाने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

जनरल नोटिस

एतदद्वारा हर आम व खास को सूचना दी जाती है कि न्यायालय हाजा में प्रार्थी ने उपरोक्त उनवान शीर्षक का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिपक्षी क्रम (9) व (10) बैंक के यहां अपनी माताजी की जमाशुदा राशि 8,33,443/- रुपये व उस पर देय ब्याज प्रार्थी नियमानुसार अपना हक प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए प्रार्थी को इस रकम की प्राप्ति के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत है। अतः हर आम व खास को सूचना दी जाती है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बंध में कोई एतराज या किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह व्यक्ति दिनांक 22.07.2025 को 10.30 AM बजे पर न्यायालय हाजा में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश करें, अन्यथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अनुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। यह सूचना पत्र न्यायालय की मुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 13.05.2025 को जारी किया गया।

मुद्रा न्यायालय के आदेश से
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा (राज.)

खोया पाया

मेरे आवास संख्या 3-E-12 तलवण्डी कोटा का मूल ORDER LETTER Transfer or Lease No. 7635/28.2.1997 का कही गुम हो गया है जिस किसी सज्जन को मिले निम्न पते पर सूचित करें।

मोहन लाल पुत्र फतेह लाल स्वर्णकार
म.न. 3-E-12 तलवण्डी कोटा
मो.नं. 9829034315

आम सूचना

मैं, शेख सलीम आयु 45 वर्ष पिता स्व. श्री शेख लतीफ जाति मुसलमान निवासी पचपहाड तहसील पचपहाड जिला झालावाड़ राज. का होकर निम्नलिखित शपथ पत्र आलेखित करता हूं।
मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैंने व मेरी माताजी आमना ने आराजी खाता संख्या 376, खसरा नम्बर 1238 रकबा 0.0126 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 129 रकबा 1.1381 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.6323 हेक्टेयर कुल रकबा 1.7830 हेक्टेयर भूमि तथा एक पक्का आवासीय मकान जिसकी माप 39 फीट 24 फीट है, जो वर्तमान में वादग्रस्त एवं विवादित है। जिसके संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा (Permanent injunction) व मालिकी अधिकार संबंधी वाद माननीय न्यायालय भवानीमंडी में लगा रखा है जो अभी वर्तमान में न्यायालय भवानीमंडी में विचाराधीन है। जिसके संबंध में मेरे द्वारा सार्वजनिक सूचना अखबार में निकलवायी जा रही है। जो कि पूर्ण तरह से सही एवं सत्य है। इसमें कोई भी कथन गलत व बनवाटी दर्ज नहीं करवाया गया है। यदि कोई भी सूचना गलत पायी गयी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है। इसमें कोई भी कथन गलत व असत्य दर्ज नहीं करवाया गया है।
दिनांकः 23.05.2025

हस्ताक्षर शपथकर्ता
शेख सलीम आयु 45 वर्ष पिता स्व. श्री शेख लतीफ जाति मुसलमान निवासी पचपहाड तहसील पचपहाड जिला झालावाड़ (राज.)

चप्पलें, साफी व छाछ वितरित

कोटा, (निसं)। विश्व सिंधी सेवा संगम, कोटा चैप्टर की ओर से गलियों में कचरा बीनने वाली महिलाओं व पुरुषों को चप्पलें, साफी व छाछ तथा विभिन्न वाहनों के वाहन चालकों/हेल्परों को साफी व छाछ वितरित की गई। विश्व सिंधी सेवा संगम, कोटा चैप्टर के अध्यक्ष प्रेम भाटिया सहित अन्य ने सहयोग किया।

रात्रि चौपाल का आयोजन

छबड़ा (निसं)। जन समस्याओं के निराकरण के लिए खोपर में उपखण्ड अधिकारी रामसिंह गुर्जर की अध्यक्षता में अटल सेवा केंद्र पर रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। रात्रि चौपाल में राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, विद्युत विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, भू-जल संरक्षण विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग आदि से अधिकारी और कर्मचारीगण जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपस्थित रहे। उपखण्ड अधिकारी गुर्जर नें रात्रि चौपाल के दौरान ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित विभिन्न तजकीय गतिविधियों, विकास योजनाओं, विभागीय कार्यों का निरीक्षण भी किया।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति "अ" श्रेणी चौमहला जिला झालावाड़ (राज0)

E- Mail – kums.chomela@rajasthan.gov.in & kumschaumhela@gmail.com
दूरभाष कार्यालय – 07435 – 284249

कमांक : 104–13 **संशोधित आवंटन विज्ञप्ति** दिनांक : 22.05.2025

इस कार्यालय की पूर्व आवंटन विज्ञप्ति कमांक 59–68 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा जारी आवंटन विज्ञप्ति में कम संख्या 2 पर अंकित निर्मित दुकान साईज 20.5X20.5 कुल 3 रिक्तयां है। जिसमें 1 दुकान अनुसूचित जाति अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी के लिए अंकित है, जिसकी जगह अनुसूचित जाति कृषक पढा जावे। पूर्व आवंटन विज्ञप्ति को यथावत रखते हुए उक्त संशोधन किया जाता है।

राज.संवाद/सी/25/2939 प्रशासक सचिव

न्यूक्लिर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORRPRATION OF INDIA LIMITED
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की पर्यावरण मंजूरी

environment clearance of mahi banswara rajasthan atomic power project

ईएसी (एनएंडडी) की सिफारिश के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने 19/05/2025 को एनपीसीआईएल द्वारा माही-बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र (एमबीआरएपीपी) 4X700 डब्ल्यूएमई पीएचडब्ल्यूआर (प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर) जिला-बांसवाड़ा, राज्य-राजस्थान को ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची 1 (ई) के तहत कवर किए गए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में विशिष्ट शर्तों के अधीन पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.npcil.nic.in/ पर जाएं।

in the basis of recommendation of the eac (nsd), the ministry of encironment, forest and climate change (moefscc)has accorded environmental clearance to mahi-banswara rajasthan atomic powar plant (mbrapp) 4x700 wme phwr (pressurised heavy water reactor) district-banswara, state-rajasthan by npcil on 19/05/2025 w.r.t. the nuclear power plant covered under schedule 1(e) of eia notification, 2006 subject to specific conditions. for ,ore details kindly visit https://www.npcil.nic.in/.

परियोजना निदेशक (एमबीआरएपीपी)
cbc48157/12/0001/2526 project director (MBRAPP)

हुंडई वेन्यू कार से अवैध डोडा-चूरा बरामद

कोटा, (निसं)। राजस्थान में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी पर रोक लगाने के अपने सतत प्रयासों के तहत केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों एवं जिला अफीम अधिकारी चित्तौड़गढ़-2 ने निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ राजमार्ग पर नपावली गांव के पास एक हुंडई वेन्यू कार को रोका और हुंडई वेन्यू में छिपाकर रखे गए 311.490 किलोग्राम वजन के 18 प्लास्टिक बैग अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। उप-नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा (राज.) नरेश बुन्देल ने बताया की सीबीएन को एक विशेष सूचना मिली कि गुजरात के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक हुंडई वेन्यू कार निम्बाहेड़ा क्षेत्र से मारवाड़ क्षेत्र की ओर भारी मात्रा में डोडा चूरा लेकर जाएगी। उन्होने बताया की जिला अफीम अधिकारी चित्तौड़गढ़-2 और चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों की एक टीम गठित करके रवाना किया गया तथा संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी गई। सीबीएन अधिकारियों द्वारा 22 मई 2025 को वाहन की पहचान करने के बाद वाहन को निम्बाहेड़ा-मंगलवार राजमार्ग पर निकुंभ चौराहे के पास रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी और सरकारी वाहन और निवारक दल को टक्कर मारने का प्रयास किया और भाग गया। उन्होंने बताया की निवारक दल ने वाहन का पीछा कर वाहन को नापावली के पास रोका लेकिन चालक रात का फायदा उठाकर वाहन को छोड़कर खेतों में भाग गया। वाहन की तलाशी ली गई और वाहन के अंदर छिपाकर रखे गए 311.490 किलोग्राम वजन के अवैध डोडा चूरा के कुल 18 प्लास्टिक बैग बरामद किए गए।

कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, बरामद अवैध डोडा चूरा को हुंडई वेन्यू कार के साथ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया की केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन) अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्यवाही जारी रखेगा ताकि राज्य में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके।

विधिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार अनुज मलिक पुत्र श्री रामचन्द्र मलिक द्वारा धनेश कुमार तलवार पुत्र श्री स्व. वासुराम के आधिपत्य एवं स्वामित्व की एक सम्पत्ति, दुकान सं. 25-ए वाके मोटर रिपेयर वर्कशॉप कोटा जिला कोटा राजस्थान को क्रय किया जा रहा है यह कि उक्त सम्पत्ति धनेश कुमार तलवार को उनके पिता स्व. वासुराम के मृत्यु उपरांत जर्ये रजि. हकत्याग दिनांक 06.04.2009 व पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 08.04.2009 से प्राप्त हुई थी, जिसका उपविभाजन दिनांक 05.02.2024 व नाम हस्तांतरण दिनांक 07.02.2024 भी नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा धनेश कुमार तलवार के पक्ष में कर दिया गया है।
यह कि उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार द्वारा क्रय करके बन्धन बैंक लिमिटेड में रहन रखकर ऋण लिया जा रहा है यह कि उक्त सम्पत्ति को रहन रखकर ऋण देने के संबंध में किसी आम व्यक्ति, बैंक, संस्था या स्व. वासुराम के किसी विधिक वारीसान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस के भीतर सूचित कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

अजय शर्मा एडवोकेट
पता-मकान नं. 1031, 1032, सुभाष नगर द्वितीय, कोटा (राज.)
मो. 7073030526, 8239229798

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन नोटिस
समस्त संबंधित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 44/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री लव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महेश चन्द अग्रवाल निवासी 270-ए तलवण्डी कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(2) के अन्तर्गत प्रन्यास "के आर टी 281 चेरिटेबल ट्रस्ट" गिरधर साडी एम्पोरियम पुरानी धानमण्डी मोरी के हनुमान जी के मन्दिर के पास कोटा के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 22.07.2025 है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 364 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 13.5.25

आवास संख्या 4/234 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री नजर मोहम्मद पुत्र श्री रहीम बक्श को किया गया था। उक्त आवास का पंजीयन श्री नजर मोहम्मद पुत्र श्री रहीम बक्श द्वारा दिनांक 30.06.2008 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री नजर मोहम्मद पुत्र श्री रहीम बक्श द्वारा उक्त आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 07.07.2008 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्री कुलदीप चौधरी पुत्र श्री मथुरालाल चौधरी को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री कुलदीप चौधरी पुत्र श्री मथुरालाल चौधरी मुख्तार आम श्री नजर मोहम्मद पुत्र श्री रहीम बक्श द्वारा मुख्तारनामा आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 28.05.2012 को श्री मथुरालाल चौधरी पुत्र श्री चौथमल चौधरी को किया गया। श्री मथुरालाल चौधरी पुत्र श्री चौथमल चौधरी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर संख्या 4/234 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री मथुरालाल चौधरी पुत्र श्री चौथमल चौधरी का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री मथुरालाल चौधरी पुत्र श्री चौथमल चौधरी का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री मथुरालाल चौधरी पुत्र श्री चौथमल चौधरी के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 493 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 23.5.25

आवास संख्या 4-भ-30 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री दौलत राम पुत्र श्री धर्म दास को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री मोहन दास खेमचन्दानी पुत्र श्री चोइथराम खेमचन्दानी के नाम दिनांक 30.03.1999 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री मोहन दास खेमचन्दानी पुत्र श्री चोइथराम खेमचन्दानी द्वारा दिनांक 07.08.1999 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री मोहन दास खेमचन्दानी पुत्र श्री चोइथराम खेमचन्दानी की मृत्यु दिनांक 16.02.2007 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती लक्ष्मी आहुजा पत्नी स्व. श्री मोहन दास, श्री संतोष आहुजा पुत्र स्व. श्री मोहन दास, श्री घनश्याम दास पुत्र स्व. श्री मोहन दास एवं श्रीमती वीनीता चित्तोरीया पुत्री स्व. श्री मोहन दास पत्नी श्री जयप्रकाश चित्तोरीया द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 18.09.2024 को श्री मुकेश कुमार आहुजा पुत्र स्व. श्री मोहन दास आहूजा के पक्ष में किया गया। श्री मुकेश कुमार आहुजा पुत्र स्व. श्री मोहन दास आहूजा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-भ-30 विज्ञान नगर कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर श्री मुकेश कुमार आहुजा पुत्र स्व. श्री मोहन दास आहूजा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री मुकेश कुमार आहुजा पुत्र स्व. श्री मोहन दास आहूजा के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री मुकेश कुमार आहुजा पुत्र स्व. श्री मोहन दास आहूजा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा